निर्णय वइजलास श्री दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या :–84 / 07
दायरा दिनांक :–17.07.2007
निर्णय दिनांक :– 31.7.23

उनवान

लच्छीराम पुत्र भंवरलाल जाति मीना निवासी जगन्नाथपुरा तहसील बारां जिला बारां राज0

बनाम

1. मंदिर श्रीनाथ जी जरिये भंडारी, श्रीनाथ जी भण्डार कोटा दरबार गढ के पास, कोटा
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां जिला बारां

–प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 92 (ए)आर0 टी0 एक्ट

निर्णय दिनांक :– 31.7.23

अभिभाषक उपस्थित :–1. श्री अशोक कुमार मीणा एड0– वादी
2. श्री ओम प्रकाश खण्डेलवाल एड0– प्रतिवादी

अभिभाषक वादी द्वारा दावा अन्तर्गत धारा 92 (ए) आर0 टी0 एक्ट विरूद्ध प्रतिवादी गण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया किग्राम चुरेलिया तहसील बारां में प्रतिवादी क्रम 1 के खाते आराजी खसरा नं0 241 रकबा 0.17, खसरा नं0 242 (कुआ) रकबा 0.04 हे0, खसरा नं0 243 रकबा 2.39 हे0, खसरा नं0 246 रकबा 0.74 हे0, खसरा नं0 247 रकबा 1.15 हे0 कुल 5 किता रकबा कुल 4.49 हे0 स्थित है। इस भूमि पर वादी अपने पूर्वजों के समय से जायद अज 60 वर्ष निरन्तर कांबिज काश्त करता चला आ रहा है। च0क0 1 वाद–पत्र में वर्णित भूमि के अतिरिक्त प्रतिवादी क्रम 1 के खाते में अन्य भूमि के अतिरिक्त प्रतिवादी क्रम 1 के खाते में अन्य भूमि के अतिरिक्त खसरा नं0 245 रकबा 0.05 हे0 भी अवस्थित है। इस भूमि के पुराने नं0 169 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा वाके ग्राम चुरेलिया तहसील बारां ही थे। इस भूमि खसरा नं0 169 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा वाके ग्राम चुरेलिया तहसील बारां वादी को दिनांक 29.11.76 को आंवटित को गया था। तथा पट्टा गैर खातेदारी भी वादी को इस निमित्त प्राप्त हो चुका है। इस भूमि पर भी वादी आंटन के समय से अर्थात जायज अज 30 वर्ष निरतंर काबिज काश्त करता चला आ रहा है। वादी द्वारा आरजी वर्णित च0क0 1 व 2 वाद पत्र में फसल सोयाबीन जो करीब 2–2, 3–3 इंच खड़ी हो चुकी है।

प्रतिवादी मंदिर श्री नाथजी [illegible] होने के कारण व कब्जा वादी व वादी के पूर्वजों का होने के कारण का[illegible] भूमि वर्णित च0क0 1 वाद पत्र का खातेदार भी वादी को बना[illegible] चुका था [illegible] बाद में कानूनी प्रक्रिया के

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.15 16:58:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Scanned with CamScanner

...र ही पुनः प्रतिवादी कम 1 के खाते उक्त भूमि दर्ज कर दी है। परन्तु इस दौरान समस्त कृषि भूमि पर वादी व उसके पूवज ही निरंतर काबिज काश्त थे। व आज भी वे ही चले आ रहे है। वादी व उसके पूवजों के भूमि खाते आने के कारण हमारे द्वारा ही आराजी खसरा नं0 242(कुआ) में कुआ भी वादीके पूर्वजों द्वारा ही निर्माण करवाया गया है। तथा इस कुए से आराजी चरण कम 1 व 2 को वादी व उसके पूर्वजों द्वारा सिंचित करवाया जा चुका है। वादी व वादी के पूर्वज इस भूमि पर शांति पूर्वक जायज अज 60 साल व 30 साल कमशः काबिज काश्त करते चले आ रहे है। परंतु प्रतिवादी कम 1 द्वारा एक विज्ञप्ति वर्ष 2064/1वर्ष के लिए अन्य भूमि के अतिरिक्त आराजी वर्णित च0क0 1 व 2 वाद पत्र को निलामी हेतु दिनांक 11.04.2007 मुकर की गई थी। परन्तु विधिवत उक्त निलामी नहीं की गई। और तत्समय भी आराजी वर्णित च0क0 1 व 2 वाद पत्र में वादी की ही फसलें थी। प्रतिवादी कम 2 तहसीलदार, बारां अनावश्यक रूप से किसी वैध अधिकार क आराजी वर्णित च0क0 1 व 2 वाद पत्र को नीलाम करने को उद्धत है। प्रतिवादी कम 2 का उक्त कृत्य अवैध एवं गैरकानूनी होने से धारा 80 के नोटिस की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः उन्हें पक्षकार बनाया गया है। नीलामी हेतु दिनांक 17.07.2007 नियत की गयी है। वादी को किसी वैध प्रकिया के तहत अभी तक आराजी वर्णित च0क0 1 व 2 से बेदखल नहीं किया गया है। वादी ही उक्त भूमि पर शांतिपूर्वक काश्त करता चला आ रहा है। जब तक कानूनी प्रक्रिया अपना कर वादी को आराजी से बेदखल नहीं कर दिया जावे, तब तक प्रतिवादी कम 1 व 2 को कोई अधिकार बाबत निलामी करवाने अथवा किसी अन्य को किसी भी प्रकार से भूमि पर दखल प्राप्त करने का कोई हक व अधिकार हासिल नहीं है। अतः वादी नालिशी है। वाद कारण दिनांक 11.04.2007 हेतु प्रतिवादी कम 1 द्वारा जारी विज्ञप्ति एवं दिनांक 17.07.2007 को नीलामी करवाये जाने हेतु होने के कारण इस तिथि को ही बिना यह वाद उत्पन्न हुआ है। अतः यही तिथि बिनाय वाद मुकर्रर की जाती है।

वादी का वाद दर्ज रजि0 कर प्रतिवादी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी कम 1 की ओर से जवाब पेश हुआ। वादी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल मिलान क्षेत्रफल ग्राम चुरेलिया सम्वत् 2038–57, भण्डारी श्रीनाथ भण्डार कोटा द्वारा जारी विज्ञप्ति, नकल जमाबन्दी ग्राम चुरेलिया तहसील बारां सम्वत् 2061–64 खाता सं0 111, नकल जमाबन्दी ग्राम चुरेलिया तहसील बारां सम्वत् 2061–64 खाता सं0 114, नकल आंटन पट्टा ग्राम चुरेलिया दिनांक 29.11.76 पेश की गई। साक्ष्य वादी pw1 लच्छीराम के बयान कराये गये। साक्ष्य प्रतिवादी में dw1 लोकेश त्रिवेदी के बयान कराये गये।

वादी के वाद पत्र एवं प्रतिवादी के जवाब दावा के आधार पर निम्न तनकी कायम की गई।

<u>तनकी नं0 1:–</u>आया कि विवादित आराजी खसरा नं0 241,242,243,246,247 कुल किता 5 रकबा 4.49 हे0 ग्राम चुरेलिया में वादी व उसके पूर्वजों के लगभग 60 वर्षो से कब्जे काश्त में चली आ रही है। <u>–वादी</u>

<u>तनकी नं0 2:–</u>आया कि आराजी खसरा नं0 2... 0.50 हे0 साबिक खसरा नं0 169 रकबा 2.03 बीघा वादी को दिनांक 29.11.1976 ... पट्टा गैर खातेदारी दिया गया था। उक्त भूमि पर वादी आंवटन ... 30 वर्षो से काबिज काश्त चला

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.15 16:58:38 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Scanned with CamScanner

.. रहा है। लम्बे समय से कब्जा काश्त होने के कारण वादी खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है।

—वादी

तनकी नं0 3:—आया कि आराजी खसरा नं0 242 में कुआ वादी के पूर्वजों द्वारा निर्माण करवाया गया है। तथा मद नं0 1 में वर्णित आराजीयात पर वादी के पूर्वजों के समय से लगभग 60 वर्षो से निरन्तर कब्जा काश्त करते चले आ रहे है।

—वादी

तनकी नं0 4:—आया कि विवादित आराजी प्रतिवादी के खातेदारी एवं कब्जे की है वादी का उक्त भूमि पर कभी कब्जा काश्त नहीं रहा वादी का वाद चलने योग्य नहीं होने से खारिज किया जावे।

—प्रतिवादी

तनकी नं0 5:—आया कि वादी विवादित आराजी का खातेदार नहीं है। उसे वाद लाने का कोई अधिकार नही है। वादी का वाद खारिज किया जावे।

—प्रतिवादी

तनकी नं0 6:—अनुतोष।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी का कथन है कि विवादित आराजी वाके चुरेलिया में स्थित है विवादित भूमि पर वादीगण का उनके पूर्वजों के समय से आज तक लगभग 60 वर्षो से कब्जा काश्त चला आ रहा है। खसरा नं0 169 रकबा 2.03 बीघा भूमि का वादी को दिनांक 29.11.76 की आंवटित की गयी थी। तथा पट्टा गैर खातेदारी वादी को दिया गया था। आंवटन के समय से वादी निरन्तर काबिज काश्त करता चला आ रहा है। प्रतिवादी मंदिर श्रीनाथ जी की भूमि होने के कारण व कब्जा वादी व वादी के पूर्वजों का होने के कारण कानूनी प्रावधानों के अनुसार उक्त भूमि पर वादी को खातेदार बनाया जा चुका है। तथा वाद में कानूनी प्रक्रिया के अनुसार पुनः प्रतिवादी क्रम 1 के खाते उक्त भूमि दर्ज कर दी है परन्तु विवादित आराजी पर वादी के पूर्वजों का कब्जा काश्त था। और आज भी वादी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। विवादित आराजी को आवंटन के आधार पर वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जावे।

बहस के दौरान वकील प्रतिवादी का कथन है कि विवादित आराजी प्रतिवादी के खाते एवं कब्जे की आराजी है। वादी का विवादित भूमि पर कोई कब्जा काश्त नहीं है। प्रतिवादी विवादित भूमि को मुनाफा काश्त पर देता है। विवादित आराजी का वादी खातेदार नहीं है। इसलिए दावा चलने योग्य नहीं है। विवादित भूमि मूर्ति मंदिर के खातेदारी की है, जो शाश्वत नाबालिग है जिसकी काश्त व्यवस्था में दखल अन्दाजी करने का वादी को कोई अधिकार नहीं है। खसरा नं0 169 रकबा 2.03 बीघा भूमि मूर्ति श्री नाथजी नाथद्वारा के ही खातेदारी की है। जिस पर वादी एवं किसी भी [illegible] को कोई अधिकार नहीं है। वादी का वाद चलने योग्य नहीं होने से खारिज फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.15 16:58:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बाराँ

Scanned with CamScanner

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। वादीगण के वाद का तनकी वार निस्तारण निम्नानुसार किया जाता है:–

तनकी नं0 1:–इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था। वादी द्वारा विवादित आराजी पर अपने पूर्वजों के समय का कब्जा काश्त लगभग 60 वर्षों का होना बताया है। वादीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य व सबूत पेश नहीं किया, जिससे वादी का 60 वर्षों से आज तक का कब्जा काश्त साबित हो सके। वादी द्वारा मात्र 2 रसीदों की फोटो प्रति पेश की है। जो वर्ष 2004 एवं 1982 की है। इसके बाद व बीच की रसीदें वादी द्वारा पेश नहीं की है। वादी द्वारा प्रस्तुत विज्ञप्ति के अनुसार मंदिर की भूमियों को मुनाफा काश्त पर काश्त करने हेतु निलामी के लिए विज्ञप्ति जारी की गई है। इससे यह साबित होता है। कि मंदिरों की भूमियों को निलामी बोली पर काश्त करवायी जाती थी। अतः यह तनकी वादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी नं0 2:–इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था। प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम चुरेलिया सम्वत् 2061–64 खाता सं0 111 के अनुसार मंदिर श्री नाथ जी खातेदार का नाम दर्ज रिकार्ड है। नकल जमाबन्दी ग्राम चुरेलिया सम्वत् 2061–64 खाता सं0 114 में मंदिर श्री नाथजी दर्ज रिकार्ड है। जिसमें खसरा नं0 245 रकबा 0.50 हे0 भी अंकित है। नकल आंवटन पट्टा दिनांक 29.11.76 के अनुसार खसरा नं0 169 रकबा 2.03 बीघा भूमि लच्छीराम पुत्र भंवरलाल जाति मीणा निवासी जगन्नथपुरा तहसील बारां के नाम आंवटन किया जाना पाया जाता है। मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2038–57 के अनुसार साबिक खसरा नं0 169 का हाल खसरा नं0 245 दर्ज हुआ। वर्तमान में खसरा नं0 245 मंदिर श्री नाथ जी के खातेदारी में दर्ज है। वादी द्वारा पर्याप्त रिकार्ड पेश नहीं किया गया है। जिससे यह नहीं मालूम होता कि वादी को भूमि आवंटन करते समय सिवायचक थी, या नहीं। वादी को आवंटन दिनांक 29.11.76 को हुआ था। 1976 के बाद वादी द्वारा खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के लिए कार्यवाही क्यों नहीं की गई। वादी इस तनकी को साबित करने में विफल रहे है। अतः यह तनकी वादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी नं0 3:–इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था। वादी द्वारा खसरा नं0 242 में कुआ खुदवाने का ऐसा कोई दस्तावेजी सबूत व साक्ष्य पेश नहीं किया, जिससे खसरा नं0 242 में कुआ वादी द्वारा खुदवाया जाना पाया जाता हो। वादी को कुआ खुदवाने के प्रर्याप्त सबूत पेश नहीं किए है। वादी इस तनकी को भी साबित करने में विफल रहे है। अतः यह तनकी वादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.15 16:58:38 IST
Reason: SelfAttested

तनकी नं0 4:–इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था। प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम चुरेलिया सम्वत् 2061–64 के अनुसार मंदिर श्री नाथजी का नाम दर्ज है विज्ञप्ति इश्तिहार निलामी मुनाफा काश्त आराजी माफी मंदिर श्री नाथजी द्वारा जारी की गई है। इससे

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

Scanned with CamScanner

साबित होता है। कि विवादित आराजी को निलामी बोली से काश्त करवाना पाया जाता है। विवादित आराजी पर वादी का कभी कब्जा काश्त नहीं रहा। विवादित आराजी प्रतिवादी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त में है। वादी अपना कब्जा साबित नहीं कर सके। वादी का वाद चलने योग्य नहीं होने से खारिज योग्य है। अतः यह तनकी प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी नं0 5:–इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी पर था। प्रस्तुत रिकार्ड के आधार पर विवादित आराजी प्रतिवादी कम 1 के खातेदारी की है। विवादित भूमि वादी के खातेदारी की नहीं है। और ना ही वादीगण का कब्जा काश्त रहा। वादी को मंदिर श्री नाथजी की आराजी खाते दर्ज कराने का कोई अधिकार नहीं है। विवादित आराजी मूर्ति मंदिर के खातेदारी की है। जो शाश्वत नाबालिग है। जिसकी भूमि को खातेदारी एवं काश्त व्यवस्था में दखल अंन्दाजी करने का वादी को कोई अधिकार नहीं है। अतः यह तनकी प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

उपरोक्त तनकीयात के निर्णय से यह साबित होता है, कि विवादित आराजी प्रतिवादी कम 1 मंदिर श्रीनाथ जी के खातेदारी की है। विवादित आराजी पर वादी का कभी कब्जा काश्त नहीं रहा। वादी अपना कब्जा साबित करने में विफल रहे है। विवादित आराजी को प्रतिवादी कम 1 निलामी बोली पर मुनाफा काश्त से करवायम जाता था। वादी को आंवटन की गई भूमि मूर्ति मंदिर श्री नाथ के खातेदारी में है। वादी यह साबित करने में विफल रहा है कि आवंटन के समय भूमि सिवायचक थी, या मंदिर श्रीनाथ के खाते की आंवटन के समय भूमि की किस्म क्या थी। वादी साबित करने में विफल रहा है। वादी प्रर्याप्त रिकार्ड पेश करने में विफल रहा है। वादी का वाद चलने योग्य नहीं होने से खारिज किया जाना न्यायोचित है।

<u>कियात्मक आदेश</u>

उपरोक्त विवेचनानुसार वादी का वाद चलने योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। तद्नुरूप डिकी पर्चा जारी हो।

नर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
बारां
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.15 16:58:38 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां (राज0)
डिक्री

...या 84/07	अन्तर्गत 92ए आर टी एक्ट	निर्णय दिनांकः– 31.7.23
समक्ष : श्री दिवांशु शर्मा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां		
उपस्थिति :अभिभाषकवादीः–श्री अशोक कुमार मीणा एड0	अभिभाषकप्रतिवादीः– ओम प्रकाश खण्डेलवाल	

वाद शीर्षक

उनवान

लच्छीराम पुत्र भंवरलाल जाति मीना निवासी जगन्नाथपुरा तहसील बारां जिला बारां राज0

बनाम

1. मंदिर श्रीनाथ जी जरिये भंडारी, श्रीनाथ जी भण्डार कोटा दरबार गढ के पास, कोटा
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां जिला बारां —**प्रतिवादीगण**

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तदनुरूप डिकी निर्गत की जाती है कि

वादी का वाद चलने योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है।

साथ ही नियमानुसार .... रू0 का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए।
उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एव न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 31.7.23 को निर्गत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बारां जिला बारां

क्र.सं.	व्यय मद	व्ययानुतोष वादी	व्ययानुतोष प्रतिवादी
1.	वदपत्र/लिखित कथन		
2.	अभिमाषकपत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थनापत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिकअभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीसकमिश्नर		
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज (:)		
10.	योग		

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.15 16:58:38 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner